उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 25-10-80 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1980 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री बी0जे0बोदायजी		अध्यक्ष
(2) श्री दयानन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(3) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(4) प्रो0दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0	सदस्य
(5) श्री जवाहर लाल शुक्ल	अनुसचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(6) श्री ए0पी0सिंह	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
(7) श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	दिनांक 28-8-80 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	V/(1)/80	बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 28-8-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	V/(2)/80	परिषद द्वारा दिनांक 28-8-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- अलीगढ़ की नई योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्त करने के लिये परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत नये प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें। 2- परिषद के लिये नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में आवास सचिव के स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाय और इसमें उपसचिव, वित्त को भी आमंत्रित किया जाय। 3- सहायक निदेशक (जन सम्पर्क एवं प्रचार) के पद के उच्चीकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक शीघ्र करायी जाय। 4- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की देहरादून रोड, रुड़की में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में समाविष्ट खसरा नं0-1171 से 1178 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में उपसमिति की बैठक दिनांक 18-11-80 को निश्चित की गई।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			5- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन एवं राजस्व परिषद से बैठक कर इस प्रकरण को शीघ्र निर्णीत कराया जाय। 6- निर्माण सामग्री के उत्पादन पर 'प्राइवेट एन्टरप्रिनर्स व्दारा विभिन्न उद्योगों को चलाये जाने पर उद्योग निदेशक तथा सचिव, उद्योग से मिलकर अग्रिम कार्यवाही की जाय। 7- मुरादाबाद में परिषद व्दारा निर्मित 24 विभिन्न आय वर्ग के भवनों में पुलिस, पी0 ए0सी0, सी0आर0पी0 व्दारा अनाधिकृत अध्यासन को समाप्त कराये जाने के संबंध में भवनों को रिक्त कराने की कार्यवाही आवास मंत्री जी के स्तर पर बैठक का आयोजन करके की जाय तथा अनाधिकृत अध्यासियों से क्षतिपूर्ति भी करायी जाय। 8- परिषद में ज्येष्ठ वित्त अधिकारी के पद को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त सचिव से स्थिति ज्ञात कर ली जाय। 9- सम्पत्ति प्रबन्ध के विकेन्द्रीकरण का व्यापक प्रचार कराया जाय। 10- राजाजीपुरम में गाज़ीउद्दीन हैदर कैनाल की पटरी की भूमि की झाड़ी-बूटी अनुसन्धानार्थ नियमानुसार आवंटित कर दिया जाय। 11- नीलामी व्दारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्ति के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1980 का भी व्यापक प्रचार कराया जाय। 12- राम सागर मिश्र नगर लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0-75 टाईप के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के संबंध में शासन स्तर पर बैठक का आयोजन शीघ्र कराया जाय। 13- लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र नगर कालोनी के रख-रखाव हेतु सचिव, न्यायत्त शासन विभाग के यहां बैठक का आयोजन शीघ्र कराया जाय।
3) "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दी ग्रान्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टू दी इम्पलाइज़ आफ दी परिषद-1973	V/(3)/80		विषय की गहनता को देखते हुये विधिक राय प्राप्त की जाय और उससे परिषद को अवगत कराया जाय।
थांकन समिति का पुनर्गठन।	V/(4)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।
5) परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को किराया क्रय पद्धति पर परिषद की योजनाओं में भवन आवंटन।	V/(5)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि यदि अधिकारियों/ कर्मचारियों के पति/पत्नी अथवा दूसरे आश्रितों के पास कोई भवन है तो उसे परिषद का भवन किराये पर नहीं दिया जायेगा। क्0प0उ0

1	2	3	4
(6)	परिषद योजनाओं में प्रयोग किये जाने के लिये केन्द्रित रूप से प्राईवुड दरवाज़े मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड से सीधे क्रय किये जाने का प्रस्ताव	V/(6)/80	परिषद ने इसे अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिये इस निर्देश के साथ स्थगित कर दिया कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री दिल्ली से तत्काल मालूम किया जाय कि यह आपूर्ति कर सकते हैं अथवा नहीं और फिर जो उत्तर मिले उस के बाद उपर्युक्त निर्णय ले लिया जाय।
(7)	सैक्टर-एक राम सागर मिश्र नगर योजना में रिक्त पाकेट्स में 26 एम0आई0जी0भवनों का निर्माण।	V/(7)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। भवनों को एक-रूपता बनाये रखने के लिए एक मंजिल वाले भवनों को स्वीकृति प्रदान की गई।
(8)	भारतीय सामान्य बीमा निगम व्दारा 1.5 करोड़ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले 3000 ई0डब्ल्यू0एस0के भवनों के सम्बन्ध में।	V/(8)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
(9)	राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना, लखनऊ में 600 दुर्बल आय वर्ग के दो मंजिले टाईप एफ0-3/80 भवनों का निर्माण।	V/(9)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
(10)	मुख्यालय पर बहुखण्डीय कार्यालय ब्लाक का निर्माण।	V/(10)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में पहिले शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(11)	रावली मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-I मुरादनगर (जिला-गाज़ियाबाद) की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(11)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी कि यदि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से निरापत्ति प्रमाप-पत्र की आवश्यकता हो तो प्राप्त कियाजाये।
(12)	बोरो रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी।	V/(12)/80	'कैथोलिक मिशन आफ लखनऊ' को सुनने के बाद परिषद ने यह निर्णय लिया कि नियोजन समिति 'कथोलिक मिशन' की आपत्ति को घटना-स्थल पर जाकर सुने और अपनी संस्तुति दे। शेष प्रस्तावों का परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।
(13)	नगेहटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हरदोई।	V/(13)/80	इस प्रस्ताव को परिषद ने परिषद अधिनियम की धारा-31 (I) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया।
(14)	परिषद की घटवासन एवं सड़क योजना आगरा (कमला नगर योजना) में समाविष्ट नगर महा-पालिका आगरा के स्वामित्व की भूमि संख्या-166 तथा 170 के अर्जन के सम्बन्ध में।	V/(14)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
5)	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-I विस्तार कानपुर।	V/(15)/80	इस प्रस्ताव को परिषद ने परिषद अधिनियम की धारा-31 (I) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया।
(16)	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, कानपुर।	V/(16)/80	इस प्रस्ताव को परिषद ने परिषद अधिनियम की धारा-31 (I) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया।

1	2	3	4
(1[illegible])	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फतेहपुर क्षेत्रफल 42·00 एकड़ अनुमानित लागत रुपया 64·536 लाख।	V/(17)/80	इस प्रस्ताव को परिषद ने परिषद अधिनियम की धारा-3। (1) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया।
(18)	परिषद के लेखों का 'कम्प्यूटराइज़ेशन'	V/(18)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर परिषद लेखों का 'कम्प्यूटराइज़ेशन' करने के सम्बन्ध में कोटेशन माँगकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
(19)	परिषद हेतु 5 वर्षीय कारपोरेट प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में।	V/(19)/80	कारपोरेट प्लान बनाने के लिये परिषद ने निम्नलिखित विभागीय अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिये:- 1- मुख्य अभियन्ता 2- प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्ज़ामिनर। 3- श्री जे0पी0भार्गव, वरिष्ठ नियोजक। 4- उप आवास आयुक्त एवं सचिव (संयोजक) उपर्युक्त अधिकारियों का कार्यकारी दल प्लान तैयार कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें।
(20)	58 तथा 58-एप्राग नारायण रोड, लखनऊ स्थित श्री के0सी0त्रेहन व अन्य की भूमि पर आवास योजना चलाने के सम्बन्ध में।	V/(20)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को समाप्त करने का निर्णय लिया।
(21)	परिषद की मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विनियमावलियों में प्रयुक्त शब्द भूमि का तात्पर्य छत से भी लिया जाना।	V/(21)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को विधिक राय लेने के पश्चात् अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित कर दिया।
(22)	परिषद द्वारा गठित कार्यान्वियन समिति की रिपोर्ट।	V/(22)/80	परिषद ने कार्यान्वियन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया और निम्नलिखित निर्देश दिये:- 1- आगरा की कमलानगर योजना में ग्राम लशकरपुर में स्थित करबला कमेटी द्वारा माँगी जा रही 9 एकड़ भूमि के मामले को माननीय आवास मंत्री जी के परिज्ञान में लाकर इसका समाधान ढूँढा जाय। 2- शासन स्तर पर विचाराधीन भू-प्रयोग परिवर्तन के मामलों को माननीय आवास मंत्री जी के स्तर पर एक बैठक का आयोजन कर निपटाया जाय। 3- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जा 4- निरंजनपुर ''टी0ई-स्टेट' देहरादून की भूमि पर बने परिषद के इन्दिरानगर योजना के नगर महापालिका को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, स्वायत्त शासन विभाग तथा देहरादून के नगरपालिका प्रशासक की बैठक में आवास सचिव को भी आमंत्रित किया जाय। 5- तालकटोरा रोड एण्ड स्ट्रीट योजना, लखनऊ के भू-प्रयोग परिवर्तन के मामले को सचिव, आवास के स्तर पर बैठक का आयोजन कर तय कर लिया जाय।

2	3	4
		के सम्बन्ध में श्री नेम सिंह चौहान, भूतपूर्व परिषद सदस्य की शिकायत पर की गई जाँच और उस पर की गई कार्यवाही से परिषद को भी अवगत कराया जाय।
		7- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित की एक उप-समिति बनाई गई:- 1- श्री दयानन्द व्यास, एम0एल0सी0 2- प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ। 3- आवास आयुक्त (संयोजक) यह समिति इस सम्बन्ध में विषय का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करे।
(23) परिषद द्वारा वर्ष-72-73 से 79-80 तक प्रदिष्ट सम्पत्तियों की समीकृत किश्तों से प्राप्त धनराशि में सम्मिलित मूलधन एवं ब्याज की सम्पत्ति-वार अलग करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था।	V/(23)/80	परिषद ने निर्देश दिये कि महालेखाकार संगठन से यह कार्य कराने के लिये बात की जाय तथा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से भी कान्ट्रेक्ट पर यह कार्य कराने के लिये बात की जाय। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कान्ट्रेक्ट पर एकाउन्टेन्ट्स रख कर छः माह में कार्य कराया जाये। यह व्यूरो के परामर्श के अनुसार ही कराया जाय।
(24) प्रतापगढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(24)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की।
(25) राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट आबादी वाले क्षेत्रों के मध्य भूमि अध्याप्त करने के सम्बन्ध में।	V/(25)/80	परिषद ने उपसमिति की रिपोर्ट पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
(26) राजपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना भदोही वाराणसी का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(26)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
(27) फिरोज़गाँधी नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 रायबरेली का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(27)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति के साथ इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की कि विकास प्राधिकरण, रायबरेली से निरापत्ति प्रमाण पत्र आदि यदि आवश्यक हो तो प्राप्त कर लिया जाये।
(28) परिषद के भूमि अर्जन अनुभाग में नायब तहसील-दारों की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में।	V/(28)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हुये वेतनक्रम-350-700 में पाँच विधि निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति प्रदान की तथा निर्देश दिये कि छः मास के बाद भूमि अध्याप्ति एवं मुकदमों की प्रगति से परिषद को पुनः अवगत कराया जाय।

क0प0उ0

1	2	3	4
(29) मुरादाबाद, लाजपतनगर योजना के अन्तर्गत निर्मित 10 एच0आई0जी0भवनों को जिला प्रशासन को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	V/(29)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की तथा निर्देश दिये कि आयुक्त मुरादाबाद मण्डल व उत्तर प्रदेश शासन को इस निर्णय से अवगत कराया जाय।	
(30) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों के लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति।	V/(30)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्रदान की तथा निम्नलिखित पद भी स्वीकृत किये:- 1- आशुलिपिक 5 पद वेतनमान-250-425 2- सम्पत्ति निरीक्षक, तीन पद, वेतनमान 350-700	
(31) निर्माण कार्यों की समीक्षा	V/(31)/80	परिषद की उपसमिति ने दिनांक 24-10-80 की बैठक में राजस्व, वित्त एवं न्याय विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की।	
(32) निर्माण कार्य की समीक्षा (30 सितम्बर, 1980 तक)	V/(32)/80	दिनांक 24-10-80 को परिषद की उपसमिति ने निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और निम्नलिखित निर्देश दिये:- सर्वप्रथम बैठक में परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नगरों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त उपसमिति ने निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची:- 1- उपसमिति को बताया गया कि इस समय परिषद के कार्यक्षेत्र में 104 नगर विज्ञापित हैं तथा निम्नलिखित नगरों को और सम्मिलित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है:- 1- बलरामपुर, 2-कोच, 3-गाजियाबाद 4- नजीबाबाद, 5-कैराना, 6-सिकन्दराबाद, 7-चांदपुर, 8-तिलहर, 9-नगीना 10-टांडा, 11-ललितपुर, 12-कन्नौज 13-मऊरानीपुर, 14-आंवला। उपसमिति ने निर्णय लिया कि इन नगरों को सम्मिलित करने के साथ सण्डीला तथा बहेड़ी नगरों को भी सम्मिलित किया जाय। 2- रानीखेत में कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से भूमि प्राप्त करने के लिये पूरा प्रयास किया जाय तथा यदि कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो उपयुक्त भूमि का चयन कर शासन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित कर भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। 3- मंसूरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा हमीरपुर नगरों में भी भूमि की उपलब्धता के लिये पुन प्रयास किये जायं। 4- तराई के क्षेत्र में स्थित अन्य नगरों जैसे बढ़नी, नौगढ़ नौतनवा आदि नगरों को भी परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार किया जाय। 5- जिन नगरों अर्थात् सुल्तानपुर, मुगलसराय, सम्भल, मुरादनगर, देवबन्द, भीमताल, गोपेश्वर तथा गोला गोकर्णनाथ आदि में भूमि का चयन हो गया है उनमें धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायं	

क0प0ज0

1	2	3	4

भूमि अध्याप्ति

1- 31 मार्च, 1981 तक भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य 5,000 एकड़ रखा जाय।

2- कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी महानगरियों जहाँ पर अधिक मात्रा में भूमि प्राप्त होने वाली है, भूमि पर कब्ज़ा लेने के लिये विशेष प्रयत्न किया जाय।

3- धारा-7/17 के अन्तर्गत भूमि का कब्ज़ा मिलने तथा प्रतिकर निर्धारण और प्रतिकर बाँटने में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के साथ घनिष्ठ समन्वय किया जाय और आवश्यकतानुसार उन्हें अतिरिक्त स्टाफ को मदद भी उपलब्ध करायी जाय।

4- भूमि अध्याप्ति कार्यों की समीक्षा करते हुये वित्तीय वर्ष-1979-80 तथा 1980-81 में किये गये कार्यों पर उपसमिति ने सन्तोष व्यक्त किया।

भूमि विकास कार्य

भूमि विकास कार्यों की समिति ने समीक्षा की और निम्नलिखित निर्देश दिये:-

1- उपसमिति की अगली बैठक में विकास कार्यों के विभिन्न मदों की प्रगति प्रतिशत के आधार पर सूचित की जाय।

2- विकास कार्यों का पुनरीक्षित लक्ष्य इस दल के लिये 612 एकड़ का निर्धारित किया जाय।

3- अगले वर्ष के लिये लक्ष्यों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जितनी भी भूमि पर कब्ज़ा मिल गया है उसी के अनुपात में लक्ष्य हो।

4- 'प्रोजेक्ट फारमेलेशन' की प्रारम्भिक अवस्था अर्थात् धारा-3। के विज्ञापित होने की स्थिति पर पेय जल, सीवरेज, वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट की आवश्यकता भेजते हुये उस पर सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त कर ली जाय। इसी प्रकार सम्बन्धित स्थानीय निकाय की भी योजना का प्रारूप बताते हुये उनकी सहमति माँग ली जाय। प्रत्येक बैठक में योजनाओं की स्तद्-विषयक प्रगति की समीक्षा की जाय।

भवन निर्माण

भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये उपसमिति ने निम्नलिखित निर्देश दिये:-

1- भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता विशेषकर वांछित मात्रा में सीमेन्ट की अप्राप्ति, अत्याधिक वर्षा एवं कुछ नगरों में शान्ति एवं व्यवस्था स्थिति खराब होने के कारण निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर समिति ने विचार किया और इसी परिप्रेक्ष्य में भवनों का पुनरीक्षित लक्ष्य 12,500 निर्धारित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि इस संख्या में समस्त भवन 31 मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जायें। 3,000 अतिरिक्त भवन जून, 1981 तक और पूर्ण कर लिये जायें।

1	2	3	4

2- सीमेन्ट की पूर्ण आवंटित मात्रा अर्थात् 28,500 मैट्रिक टन सीमेन्ट को उठाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा भारत सरकार से उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से अतिरिक्त सीमेन्ट का कोटा प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। इसके अतिरिक्त वाह्य देशों से भी सीमेंट को आयोजित करने के प्रयास किये जायं।

3- कोयले की कितनी मात्रा की परिषद को आवश्यकता है उसका भी निर्धारण किया जाय तथा कोल इण्डिया लिमिटेड से कम से कम दो रैक कोयला तुरन्त प्राप्त करने की स्वीकृति प्राप्त की जाय। कोयले की ढुलाई के लिये रेल द्वारा विशेष प्रयत्न किया जाय और इस संबंध में उच्चतम स्तर तक प्रयास किया जाय।

4- परिषद निजी संस्थानों को 'लाइम पोजोलीना प्लांट्स' स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करें तथा इलाहाबाद, मिर्जापुर में भी इस प्रकार के प्लान्ट लगाने पर विचार किया जाय।

5- 'स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड' से आवश्यकतानुसार सरिया प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तथा उचित स्तर का अथवा कम मात्रा का माल मिलने के अंदेशे पर प्राइवेट कमीशन एजेन्ट्स के माध्यम से भी नियमानुसार क्रय किया जाय।

6- लखनऊ को 'सेकेन्डरी सेसेज़' की दरवाज़ों में प्रयुक्त करने हेतु 'सोज़निंग प्लान्ट' का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिये प्राइवेट इन्टरप्रिनर को प्रोत्साहन दिया जाय। लखनऊ के सोजनिंग प्लान्ट से शटर खरीदने पर भी विचार किया जाय।

7- 'विटमिन' की उपलब्धता के लिये मैनेजर, गवर्नमेंट सप्लाईज, इण्डियन आयल कारपोरेशन से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाय।

वित्तीय प्रगति

वर्ष-1980-81 के लिये पुनरीक्षित भवनों के लक्ष्य 12,500 के आधार पर वित्तीय लक्ष्यों का पुर्ननिर्धारण किया जाय। मार्च, 80 तक 5000 भूखण्डों के लक्ष्य को प्राप्त की जाय।

साइट एण्ड सरविसेज़

साइट एण्ड सरविसेज़ का प्रदेशन दिसम्बर, 1980 तक कर दिया जाय।

क्वालिटी कन्ट्रोल

भवनों की क्वालिटी बनाये रखने तथा जन साधारण और इच्छुक क्रेताओं में मकानों की अच्छी किस्म के सम्बन्ध में अच्छी धारणा उत्पन्न करने के लिये क्वालिटी

1	2	3	4
			कन्ट्रोल कमेटी के माध्यम से विचार कर उपायों की खोज की जाय। यथासंभव भवनों को आवंटित करने के पूर्व फिनिशिंग आइटमों की जाँच कर ली जाय। परिषद ने उपसमिति द्वारा दी गई बहुमूल्य संस्तुतियों का अनुमोदन किया।
(33) उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 के विनियम-1। एवं 46 में संशोधन का प्रस्ताव।	V/(33)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और निर्देश दिये कि प्रस्तावित संशोधनों पर विधिक राय लेकर अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाय।
(34) मैनपुरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1	V/(34)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव पर परिषद अधिनियम की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की।
(35) शिकोहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1	V/(35)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव पर परिषद अधिनियम की धारा-31(1)के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की।
(36) परिषद की विभागीय निर्माण इकाई-प्रथम में गबन।	V/(36)/80		परिषद ने इस प्रस्ताव का अवलोकन किया और निर्देश दिये कि इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जाय तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भी नियमानुसार सूचित किया जाय।
(37) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	V/(37)/80		राम सागर मिश्र नगर योजना में निर्मित 1040 दुर्बल आय वर्ग भवनों के क्लस्टर में भवनों के विभिन्न चरणों के अनुक्रम 5 भवनों में तदनुसार निर्माण किया जाना। परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

पुष्टि की गई

12/2/81

अध्यक्ष

12.2.81